13/5/25	पत्रावली पेश हुई। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाता है। विपक्षी नियमित टंकण से निस्तारण बाबत आदेश पत्रावली किया जावे। पत्रावली जैसल कुमार ... नैनपुर से ... रिपोर्ट प्राप्त पेश हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. छाबूरी पुत्री स्व0 भोरया पत्नि स्व0 श्री पोथीलाल उम्र 72 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
2. भगवती पुत्र स्व0 पोथीलाल उम्र 42 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
3. नेकराम पुत्र स्व0 पोथीलाल उम्र 35 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
4. पतराम पुत्र स्व0 श्री पोथीलाल आयु 29 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0

––वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 शिवलाल उम्र 42 साल जाति जाटव निवारी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
2. दिनेश पुत्र स्व0 शिवलाल उम्र 47 साल जाति जाटव निवारी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
3. द्रोपती पत्नि स्व0 श्री शिवलाल उम्र 72 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
4. प्रहलाद पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
5. कल्लू पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 39 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
6. महेश पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 31 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
7. सरूआ पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 25 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
8. विजय पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 22 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
9. केसुली बेवा स्व0 रामजीलाल उम्र 72 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
10. रामश्री पुत्र स्व0 सुआ उम्र 75 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
11. प्रभान पुत्र स्व0 श्री भगवानदास उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
12. नरेश पुत्र स्व0 अर्जुन लाल उम्र 52 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
13. प्रेमसिंह पुत्र स्व0 अर्जुन लाल उम्र 49 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
14. अनिता पुत्री स्व0 अर्जुन लाल उम्र 43 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0 –––हजफ
15. प्रीतम पुत्र स्व0 श्री चिरंजी उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
16. जगमोहन पुत्र स्व0 श्री चिरंजी लाल उम्र 44 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
17. अशोक पुत्र स्व0 श्री चिरंजी उम्र 39 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
18. गोविन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 25 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

19. नरेश पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 21 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0

20. गीता पत्नि स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0

21. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील करौली जिला करौली

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 25/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री रामनिवास पाराशर, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई कबक .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादीया नंबर 1 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7322 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के 1/3 हिस्से को व प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी नंबर 10 को 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादी नंबर 11 ता 14 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार किया जाता है। वादी नंबर 1 इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 21 को आदेश दिये जाते है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज खातेदारी अमल करें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के 1/3 हिस्से कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करे एवं वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगैरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13/4/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज0)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

नोटः—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–25/25 तारीख रजु:–23.5.25

उनवान

1. हाबूरी पुत्री स्व0 भोरया पत्नि स्व0 श्री पोथीलाल उम्र 72 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
2. भगवती पुत्र स्व0 पोथीलाल उम्र 42 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
3. नेकराम पुत्र स्व0 पोथीलाल उम्र 35 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
4. पतराम पुत्र स्व0 श्री पोथीलाल आयु 29 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र स्व0 शिवलाल उम्र 42 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
2. दिनेश पुत्र स्व0 शिवलाल उम्र 47 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
3. द्रोपती पत्नि स्व0 श्री शिवलाल उम्र 72 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
4. प्रहलाद पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 45 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
5. कल्लू पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 39 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
6. महेश पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 31 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
7. सरूआ पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 25 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
8. विजय पुत्र स्व0 रामजीलाल उम्र 22 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
9. केसुली बेवा स्व0 रामजीलाल उम्र 72 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
10. रामश्री पुत्र स्व0 सुआ उम्र 75 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
11. प्रभान पुत्र स्व0 श्री भगवानदास उम्र 32 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
12. नरेश पुत्र स्व0 अर्जुन लाल उम्र 52 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
13. प्रेमसिंह पुत्र स्व0 अर्जुन लाल उम्र 49 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
14. अनिता पुत्री स्व0 अर्जुन लाल उम्र 43 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0 ———हजफ
15. प्रीतम पुत्र स्व0 श्री चिरंजी उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

16. जगमोहन पुत्र स्व0 श्री चिरंजी लाल उम्र 44 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
17. अशोक पुत्र स्व0 श्री चिरंजी उम्र 39 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
18. गोविन्द पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 25 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
19. नरेश पुत्र स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 21 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
20. गीता पत्नि स्व0 श्री रामजीलाल उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी शिकारगंज करौली तहसील व जिला करौली राज0
21. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील करौली जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::– दिनांक :– 13/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 09 विस्वा शिकारगंज कस्बा करौली वादिया हाबूरी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसके बावत् रिकार्ड ऑफ राइटस जमाबंदी संवत् 1978–81 में हमारे बाबा थाना पुत्र भवान्या उर्फ भवानी के हक में इन्द्राजात मौजूद है और यह तथ्य प्रतिवादीगण की पूर्ण ज्ञान व जानकारी में है। विवादित आराजी के पूर्व सेटिलमेंट खसरा नंबर 5588 है। मोहल्ला मुरलीपुरा कस्बा करौली में हमारे शामलाती पुश्तैनी मिल्कियत व कब्जे की पाटोरपोश मकानियत रिहायशी स्थित है पूर्व में घर पीतम, जगमोहन, पश्चिम आम रास्ता छोड के जानवाल के मकान, उत्तर में मकान, दक्षिण में मकान है। उक्त जायदाद का नक्शा संलग्न वादपत्र पेश है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। थाना, हट्टी व मूलचंद भवानी के तीन पुत्र थे। बाबा थाना व हट्टी निःसंतान रहे हमारे बाबा मूलचंद के किशनलाल, सुआ, भोरया व पून्या पुत्र हुए। किशनलाल का एकमात्र पुत्र शिवलाल हुआ जिसके पुत्र प्रतिवादीगण नं0 1, 2 तथा प्रतिवादी नं0 3 उसकी पत्नि है। सुआ का पुत्र रामजीलाल व पुत्री रामश्री है। रामजीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। रामजीलाल के पांच पुत्र प्रहलाद, कल्लू, सरूआ, विजय, महेश व पत्नि केसूली प्रतिवादी नं0 4 ता 9 है। वादिया नं0 1 के पिता भौरया के कोई पुत्र नही था।

9/4/26
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

वादिया नं0 1 भौरया की एकमात्र पुत्री पैदा हुए। पून्या अविवाहित फौत हो गया। वादिया हाबूरी की मां का नाम लोहरी तथा दादी का नाम ठरको था। किशनलाल की पत्नि का नाम द्रोपती तथा रामजीलाल पुत्र सुआ की पत्नि का नाम केशन्ती है। वादीया हाबूरी तथा प्रतिवादीगण नं0 1 ता 10 के अलावा हमारे सभी परिजनों का स्वर्गवास हो गया है। वादिया की पोथी के साथ शादी हुई जिससे वादिया नं0 1 के वादी सं0 2 ता 4 पुत्र पैदा हुए। प्रतिवादी नं0 21 लैण्ड होल्डर होने रासे आवश्यक पाकार है। चतरू तथा मुरली नाम के कोई व्यक्ति हमारे परिवार में नही है। हमारें गांव यानि मोहल्ला का नाम मुरलीपुरा अवश्य है किन्तु मुरली व उसका पुत्र भवानी के परिवार के सदस्य नही रहे है। मूलचंद के फौत हो जाने के बाद सेटिलमेंट में मूलचंद के तीनों पुत्रों किशनलाल, सुआ एवं भौरया का नाम सेटिलमेंट संवत् 2015 में विरासतन दर्ज करने के बजाए किशनलाल तथा भौरया का नाम छुपाकर केवल सुआ पुत्र मूलचंद का नाम दर्ज कर दिया एवं गलती से संवत् 2015 में हमारी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि में चतरू पुत्र मूलचंद का गलत नाम अंकन कर दिया जो दुरूस्त होने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नं0 7322 में वादिया का पिता भौरया, सुआ, किशनलाल पुत्रान मूलचंद क्रमशः 1/3, 1/3 के खातेदारी काबिज है किन्तु विवादित आराजी का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में कोई बंटवारा नही हुआ है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है यानि प्रतिवादी नं0 11 लगायत 20 का मौके पर कोई कब्जा विवादित आराजी पर नही है। सुआ पुत्र मूलचंद व रामजीलाल पुत्र सुआ दोनों चालाक किस्म के व्यक्ति रहे है। विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकवा 1 वीघा 09 विस्वा में सुआ के वारिसान प्रतिवादी नं0 4 से 10 का हिस्सा मात्र विवादित संपूर्ण आराजी में से 1/2 हिस्सा का रजिस्टर्ड बेचान 18.09.1975 एवं 21.11. 1975 को प्रतिवादी नं0 11 ता 16 के पिता अर्जुनलाल कवि के नाम अवैध करा दिया एवं दीगर रामजीलाल पुत्र चतरू ने दिनांक 28.07.1976 के फर्जी वयनामा से खातेदारी इन्द्राज अर्जुन एवं श्याम पुत्र घीरा का नाम दर्ज करा दिया। अवैध व प्रभाव में शून्य खातेदारी इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड में करा लेने से प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है और प्रतिवादीगण ने वादिया से छिपाते हुये वादिया के हक हकूक खातेदारी

काश्तकारी की भूमि का हडपने की बदयान्ति से साजिश करके आराजीयात खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 09 विस्वा कस्बा करौली की कृषि भूमि का वादिया के हिस्से हक हकूक खातेदारी काश्तकारी को शामिल करते हुऐ प्रतिवादी रामजीलाल से प्रतिवादी नं0 11 ता 16 ने दिनांक 18.09.1975 व 21.11.1975 के दिवस अवैध तौर पर वयनामा सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष कार्यालय में पंजीयन करा लिया है जबकि वादिया के हक हकूक खातेदारी व हिस्से की आराजीयात को प्रतिवादी को विक्रय करने का विधिक अधिकार वादिया के हक हकूक खातेदारी आराजीयात को खरीदने का प्रतिवादी नं0 11 ता 16 को वैधानिक अधिकार नही है। पंजीकृत वयनामा दिनांक 18.09.1975 व 21.11.1975 वादिया के हक हकूक खातेदारी काश्तकारी व हिस्सा 1/3 पर अच्छादित होने से वादिया पर बाध्यकारी नही है। वादिया उक्त वयनामा को अपने हक हकूक में हिस्सा 1/3 पर न्यायालय से शून्य घोषित कराने के अधिकारी है। सुआ के लडके रामजीलाल ने विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 9 विस्वा में से दिनांक 18.09.1975 को रकवा 1 वीघा 06 विस्वा तथा पुनः दिनांक 21.11.1975 रकवा 8 1/2 विस्वा का अनाधिकृत वयनामा प्रतिवादीगण नं0 11 ता 16 के पिता अर्जुनलाल कवि के नाम रजिस्टर्ड कराकर कुल रकवा का 1/2 हिस्सा को वय कर दिया था जबकि रामजीलाल उक्त आराजी में मात्र 1/6 का हिस्सेदार है एवं 1/6 हिस्सा रामश्री पुत्री सुआ का है दोनों का मिलकर 1/3 हिस्सा होता है अतः उक्त वयनामा रामश्री के हक हकूक के खिलाफ होने से वयनामा निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 व 3 का किशनलाल के वारिसान होने से 1/3 हिस्सा है। तथा कथित फर्जी वयनामा से प्रतिवादी नं0 4 ता 20 व उनके पिता आदि ने किशनलाल के 1/3 हिस्से का वयनामा से किशनलाल का नाम हजफ करा दिया बाद में जमाबंदी में उनके नाम के खातेदारी इन्द्राज हो गये। शिवलाल पुत्र किशनलाल 1/3 हिस्से के खातेदारी इन्द्राजात हो जाने से प्रतिवादी नं0 4 ता 20 के नाम किये गये वयनामें निरस्त होने योग्य है। वादिया अनपढ है रामजीलाल पुत्र सुआ व रामजीलाल पुत्र चतरू ने वादिया के अनपढ होने के कारण वादिया से छिपाते हुये बिना आधार के बिना अधिकार गलत तौर पर वादिया के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जिन्दा होने की जानकारी होने के बावजूद वादिया को भौरया की पुत्री जिंदा होना जानते हुये वादिया को सुनवाई का कोई नोटिस व अवसर दिये बिना फर्जी वयनामा से खातेदारी इन्द्राजात करा दिये है। उक्त खातेदारी इन्द्राजात से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। उक्त इन्द्राजात वादिया के हक हकूक खातेदारी व काश्तकारी पर प्रभावहीन व शून्य है। आराजीयात भौरया की खातेदारी की होना राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत तथ्य है। रामजीलाल पुत्र मुरली ने अपने अवैध इन्द्राजात के आधार पर आराजीयात खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 09 विस्वा कस्बा करौली का वादिया के हक हकूक खातेदारी को मारने की बदनीयती से प्रतिवादी नं0 11 ता 16 के पिता अर्जुनलाल कवि के पिता श्याम पुत्र धीरा के हक में बिल एवज 500/–रूपये में दिनांक 28.07.1976 के दिवस सब रजिस्ट्रार करौली के कार्यालय में वादिया के हक हिस्से की भूमि को हडपने की बदनीयति से वयनामा तस्दीक कराया है जो हक हकूक खातेदारी वादिया पर प्रभावहीन व शून्य है। वादिया के हक हकूक खातेदारी पर उक्त वयनामा आच्छादित है। उक्त वयनामा वादिया को गंभीर क्षति कारित कर रहा है। वादिया उक्त वयनामा दिनांक 28.07.1976 को अपने हक हकूक खातेदारी पर न्यायालय से प्रभावहीन व शून्य घोषित कराकर वादिया अपने 1/3 हक हकूक हिस्सा खातेदारी पर निरस्त कराने की अधिकारी है और न्यायालय द्वारा वादिया के हक हकूक की हद तक उक्त वयनामा निरस्त किया जाना न्यायोचित है हक प्रतिवादी को वादिया के 1/3 हिस्से की भूमि को विक्रय करने के विधिक अधिकार नही है और प्रतिवादीगण को वादिया के हक हकूक खातेदारी की भूमि को रामजीलाल से खरीदने का अधिकार नही है। वादिया द्वारा भूमि का बेचान नही किया गया है। वयनामा दिनांक 28.07.1976 वादिया के 1/3 हक हकूक व हिस्सा पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में कराये गये फर्जी वयनामा की पूर्व में दिनांक 15.05.2016 तक कोई जानकारी नही थी। दिनांक 15.05.2016 को प्रतिवादी नं0 11 ता 20 वादिया से उसके मकान को तोडने और कब्जे को हडपने के लिए झगडा करने आये और कहा कि विवादित आराजी का वयनामा हमारे नाम हो गये इसलिए हम तुम्हें आराजी से

बेदखल करेंगे, तुम्हारे मकान को तोड़ेंगे। अतः वादिया को प्रतिवादीगण के फर्जी वयनामा की प्रथम बार दिनांक 15.05.2016 को जानकारी हुई है। इससे पूर्व वादिया को विवादित फर्जी वयनामा की कोई जानकारी नही थीं। विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा का मौके पर एक ही चक है जिसके पूर्व में आम रास्ता है तथा पूर्वी हिस्से में वादिया का कब्जा है तथा वादिया ने अपना मकान बना रखा है वादिया अपनी आराजी एवं मकान पर परिवार सहित काबिज है रिहायश कर रही है मौके पर वादिया की फसल खडी हुई है। गेहूं की फसल बो दी गई है। पश्चिमी हिस्से पर द्रोपती पत्नि शिवलाल एवं रामश्री पुत्री रामजीलाल ने कब्जा कर रखा है तथा रामश्री ने अपने हिस्से मे कमरा भी बना रखा है। प्रतिवादी नं0 3 के पिता शिवलाल पुत्र किशनलाल का हिस्सा भी सेटिलमेंट के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही था लेकिन आज जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में शिवलाल पुत्र किशनलाल ने न्यायालय में दावा करके अपने हिस्से की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में अपने पुत्र दिनेश व जगदीश पिता शिवलाल व द्रोपती बेवा शिवलाल के नाम इन्द्राज करा लिया है। प्रतिवादीगण नं0 11 ता 20 का मौके पर विवादित आराजी में कोई कब्जा नही है। प्रतिवादीगण को फर्जी वयनामा के वक्त भी कोई कब्जा नही दिया गया है। वादिया द्वारा भूमि का बेचान नही किया गया है और वादिया तथा प्रतिवादीगण के मध्य आज तक वादग्रस्त संपत्ति विवादित जमीन मकान का वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नही हुआ है। आराजीयात में वादिया का 1/3 हक हकूक हिस्सा संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा है। उक्त आराजीयात का वादिया एवं मूलचंद के पुत्र के बीच विधिवत वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नही हुआ है। क्रेता प्रतिवादीगण अजनबी क्रेता है जो कि क्रेतागण वादिया के परिवार में से नही है। क्रेतागण द्वारा भी आराजीयात का वादिया से विधिवत तौर पर बंटवारा नही कराया है। आराजीयात में वादिया का 1/3 संयुक्त कब्जा हिस्सा व संयुक्त खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व 10 के साथ हैं। वादिया उक्त प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त कर रही है। वादिया के संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान डालने का प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार नही हैं। प्रतिवादीगण की अवैध कार्यवाही बेचान से हकूक वादिया पर भारी आघात है। अपूर्णीय

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (राज.)

क्षति है भारी असुविधा है। सहजोर प्रतिवादीगण पर भारी आघात है। अपूर्णीय क्षति है भारी असुविधा है। सहजोर प्रतिवादीगण के विरूद्व वादिया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हे कि वह वादिया को उसकी मकानियत एवं कृषि भूमि से ज्यादा बेदखल ना करें ना करावे यथावत स्थिति बनाये रखें। वादपत्र पैरा नं0 1 व 2 में दर्ज संपत्ति में वादिया 1/3 हक हकूक व हिस्सा संयुक्त मिल्कियत संयुक्त कब्जा व उपयोग उपभोग की अधिकारी है। वादिया बेवा औरत जात है प्रतिवादीगण स0 1 ता 20 ताकतवर व धनबली, बाहुबली एवं राजनैतिक प्रभाव वाले है। प्रतिवादीगण वादिया के संयुक्त कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान करने लगे है। वादिया के आराजी काश्त में व्यवधान डालने लगे है। रिहायशी भवन में रिहायश में व्यवधान डालने लग गये है। वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित संपत्ति दर्ज वादपत्र पैरा नं0 1 व 2 का विधिवत वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स हक हिस्सा अनुसार समान रूप से दिनांक 15.05.2016 को प्रतिवादी नं0 1 ता 20 की मौजूदगी में बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये, आमादा फिसाद हो गये और प्रतिवादीगण ने हक हकूक व हिस्सा 1/3 वादिया से साफ इंकार कर दिया और प्रतिवादी नं0 11 ता 20 ने कहा कि तुम्हारी आराजी का वयनामा हमारी नाम हो चुका है। खातेदारी में नाम चढ चुका है हम तुम्हें मकान व जमीन से बेदखल करेंगें। वादिया द्वारा उक्त अनाधिकृत वयनामा की दिनांक 19.05.2016 व 23.05.2016 को वयनामा की जानकारी से उक्त वयनामा निरस्त कराने एवं खातेदारी इन्द्राज हजब करने के लिये दावा पेश है चूंकि वादिया के 1/3 हिस्से के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की रूकावट एवं तकलीफ करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नही हैं वादिया बदस्तूर अपने 1/3 हिस्से की जमीन एवं उपरोक्त हिस्से में बने मकान पर वादिया शांतिपूर्वक दायरी दावे तक बदस्तूर काबिज चली आ रही है। वादिया न्यायालय से अपना 1/3 हिस्सा विवादित जायदाद में घोषित कराने एवं बंटवारा कराकर मुताबिक बंटवारा संपत्ति सेपरेट कराने की अधिकारी है। वादिया अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि का वाद घोषणा बंटवारा कराकर सेपरेट लगान बंटवारा अनुसार खातेदारी इन्द्राजात सेपरेट कराने की अधिकारी है। अतः वादग्रस्त संपत्ति दर्ज वादपत्र संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकलें

उपखण्ड अधिकारी
कोटा (राज.)

प्राप्त कर प्रस्तुत है। विनाय मुखासमत दिनांक 15.05.2016 को प्रतिवादीगण नं0 1 द्वारा वयनामा की जानकारी देने पर मकान तोडने की धमकी देने पर एवं आराजी से वेदखल करने की धमकी देने पर तथा दिनांक 19.05.16 एवं 26.05.16 को तथा कथित फर्जी वयनामा की नकलें प्राप्त होने पर अन्दर हदूद अर्वा पैदा हुई है। दिनांक 15.05.16 से पूर्व वादिया को विवादित फर्जी वयनामा की जानकारी नही थी वादिया अनपढ औरत है प्रतिवादीगण द्वारा झगडा के वावत् जमीन खरीदने की कहने पर तथा विवादित वयनामा की नकलें प्राप्त होने पर वयनामा की जानकारी दिनांक 19.05.16 से दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है। उक्त उनवानी दावा वादीगण द्वारा न्यायालय सिविल न्यायधीश करौली में दिनांक 10.11.2016 को प्रस्तुत किया गया जहां से स्थानान्तरित होकर प्रकरण अति0वरिष्ठ न्यायाधीश करौली में अंतरित किया गया जहां बाद बहस उभय पक्ष दिनांक 03.06.2023 को दावा वादीगण खारिज फरमाया गया जिसमें विवाधक स0 1 वादिया के हक में तथा विवाधक सं0 2 लगायत 6 वादिया के विरूद्व तय किये गये। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व न्यायालय जिला जज करौली के समक्ष अपील सं0 47/2024 उनवानी हाबूडी वगै0 बनाम जगदीश वगै0 दायरी की गई जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से पारिवारिक न्यायाधीश करौली को अंतरित की गई जहां उभय पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाकर माननीय पारिवारिक न्यायधीश ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2024 के जरिये प्रकरण राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने के कारण तनकी नं0 6 पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की तथा अन्य विवाधक सं0 1 ता 5 को अपास्त कर मूल दावा सक्षम राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी के तहत वादिया को वापिस लौटा दिया गया। इसलिए अब यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मूल वादपत्र की सत्यप्रतिलिपि व हरर्दो अदालत के निर्णय व डिक्री इस दावे के साथ सलंग्न किये जा रहे है। दिनांक 10.11.2016 से दिनांक 25.10.2024 तक की अवधि सिविल न्यायालय व अपीलीय न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश करौली सदभाविक रूप से प्रकरण विचाराधीन होने के कारण धारा 14 मियाद अधिनियम के तहत उक्त अवधि की देरी क्षम्य किये जाना नितान्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

आवश्यक एवं न्यायोचित है। वादीगण के अधिवक्ता ने मामला दीवानी प्रकृति का होने के कारण हमें प्रत्येक पेशी पर उपस्थित आने के लिये मना कर रखा तथा कहा कि हमें आवश्यकता होगी तब आपको बुलवा लेगें। लेकिन न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश करौली के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2024 को होने की कोई सूचना उन्होने हमें नही दी, अब दिनांक 20.05.2025 को वादिया किसी दीगर कार्य से कोर्ट आई थी तो वकील साहब से उक्त मुकदमें के बारे में जानकारी की तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुकदमा अदालत ने राजस्व न्यायालय में पेश करने को वापिस दे दिया है। लेकिन तुम्हारा कोई मोबाईल नंबर मेरे पास नही होने के कारण मैं तुम्हें सूचना नही दे सका। इसलिए अब सर्वप्रथम प्रार्थीया को जानकारी होने पर अविलम्ब यह दावा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए जानकारी की अभाव में दिनांक 25.10. 23024 से दिनांक 20.05.2025 तक की अवधि का अविलम्ब क्षमा किये जोन योग्य है। इस बावत् पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 व 14 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र के पृथक से दावा के साथ संलग्न किया जा रहा है। विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 09 विस्वा कस्बा करौली में वादिया हाबूरी एवं उसके पिता भौरया पुत्र मूलचंद का हिस्सा 1/3 खातेदारी की घोषणा की जावे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज वादिया के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं0 21 को पारित फरमाये जावें। वयनामा दिनांक 18.09.1975 दिनांक 21.11.1975 एवं 28.07.1976 को वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व प्रतिवादी नं0 10 के हक हकूक तक निष्प्रभावहीन, बेअसर करार दिये जाकर शून्य घोषित किया जावें। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य बंटवारा कराया जाकर वादिया का 1/3 हिस्सा सेपरेट किया जाकर। सेपरेट लगान कायम किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री प्रदान कर फाईनल डिक्री तैयार करने के लिये प्रतिवादी सं0 21 को निर्देशित किया जाकर फाईनल डिक्री बनवाई जावे और तदानुसार राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्से की खातेदारी इन्द्राज वादिया के हक में कराया जाकर वादिया को सेपरेट कब्जा बंटवारा में आयी भूमि पर दिलाया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

खसरा नं0 7322 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा वाके कस्बा करौली के 1/3 हिस्सा मुस्तर्का के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का ना तो व्यवधान ना तो स्वयं पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावे ना ही वादिया को विवादित आराजीयात व मकानात से बेदखल करें ना करावें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें। दीगर दादरसी जो वगर्ज इंसाफ आवश्यक हो दिलायी जावें। खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी अखबार स्याहा तलबी करवाये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 30.01.2026 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

साक्ष्य वादी एकपक्षीय ली गई। वादीया ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वादीया हाबूरी के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल नक्शा प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–4, पारिवारिक न्यायालय करौली का अपील निर्णय व डिक्री प्रदर्श–5, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करौली के निर्णय व डिक्री प्रदर्श–6, नकल जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–8, जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–9, पैमाईश नक्शा प्रदर्श–10, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–11, जमाबंदी प्रदर्श–12, जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श–13, जमाबंदी संवत 2026 प्रदर्श–14, जमाबंदी संवत 2056 प्रदर्श–15, नकल विक्रय पत्र दिनांक 18.09.75 प्रदर्श–16, नकल विक्रय पत्र दिनांक 21.11.75 प्रदर्श–17, नकल विक्रय पत्र दिनांक 28.07.76 प्रदर्श–18, जमाबंदी संवत 2053–55 प्रदर्श–19, जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श–20 पेश कर प्रदर्शित कराये है एवं गवाह चौथीबाई पीडब्ल्यू–2 के बयान मौखिक कराये है एवं उपरोक्त दर्ज प्रदर्श 1 लगायत 20 को प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

न्यायिक अधिकारी
करौली (राज0)

वकील वादीगण का बयान में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 7322 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा शिवगंज कस्बा करौली वादिया हाबूरी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसके बावत् रिकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी संवत् 1978-81 में हमारे बाबा थाना पुत्र भवान्या उर्फ भवानी के हक में इन्द्राजात मौजूद है और यह तथ्य प्रतिवादीगण की पूर्ण ज्ञान व जानकारी में है। विवादित आराजी के पूर्व सेटिलमेंट खसरा नंबर 6688 है। मोहल्ला मुरलीपुरा कस्बा करौली में हमारे शामलाती पुश्तैनी मिल्कियत व कब्जे की पाटोरपोश मकानियत रिहायशी स्थित है पूर्व में घर पीतम, जगमोहन, पश्चिम आम रास्ता छोड के जानलाल के मकान, उत्तर में मकान, दक्षिण में मकान है। उक्त जायदाद का नक्शा संलग्न वादपत्र पेश है। सजरा मद नंबर 2 में दर्ज है। थाना, हट्टी व मूलचंद भवानी के तीन पुत्र थे। बाबा थाना व हट्टी निःसंतान रहे हमारे बाबा मूलचंद के किशनलाल, सुआ, भौरया व पून्या पुत्र हुए। किशनलाल का एकमात्र पुत्र शिवलाल हुआ जिसके पुत्र प्रतिवादीगण नं0 1, 2 तथा प्रतिवादी नं0 3 उसकी पत्नि है। सुआ का पुत्र रामजीलाल व पुत्री रामश्री है। रामजीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। रामजीलाल के पांच पुत्र प्रहलाद, कल्लू, सरूआ, विजय, महेश व पत्नि केसूली प्रतिवादी नं0 4 ता 9 है। वादिया नं0 1 के पिता भौरया के कोई पुत्र नही था। वादिया नं0 1 भौरया की एकमात्र पुत्री पैदा हुए। पून्या अविवाहित फौत हो गया। वादिया हाबूरी की मां का नाम लोहरी तथा दादी का नाम ठरको था। किशनलाल की पत्नि का नाम द्रोपती तथा रामजीलाल पुत्र सुआ की पत्नि का नाम केशन्ती हैं। वादीया हाबूरी तथा प्रतिवादीगण नं0 1 ता 10 के अलावा हमारे सभी परिजनों का स्वर्गवास हो गया है। वादिया की पोथी के साथ शादी हुई जिससे वादिया नं0 1 के वादी सं0 2 ता 4 पुत्र पैदा हुए। प्रतिवादी नं0 21 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पाकार है। चतरू तथा मुरली नाम के कोई व्यक्ति हमारे परिवार में नही है। हमारें गांव यानि मोहल्ला का नाम मुरलीपुरा अवश्य है किन्तु मुरली व उसका पुत्र भवानी के परिवार के सदस्य नही रहे है। मूलचंद के फौत हो जाने के बाद सेटिलमेंट में मूलचंद के तीनों पुत्रों किशनलाल, सुआ एवं भौरया का नाम सेटिलमेंट संवत् 2015 में विरासतन दर्ज करने के

उपखण्ड अधिकारी

बजाए किशनलाल पुत्र भौरया का नाम छुपाकर केवल सुआ पुत्र मूलचंद का नाम दर्ज कर दिया एवं गलती से संवत 2016 में हमारी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि में चतरू पुत्र मूलचंद का गलत नाम अंकन कर दिया जो दुरूस्त होने योग्य है। विवादित आराजी खसरा नं0 7322 में वादिया का पिता भौरया, सुआ, किशनलाल पुत्रान मूलचंद क्रमशः 1/3, 1/3 के खातेदारी काबिज है किन्तु विवादित आराजी का विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में कोई बंटवारा नही हुआ है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नही है यानि प्रतिवादी नं0 11 लगायत 20 का मौके पर कोई कब्जा विवादित आराजी पर नही है। सुआ पुत्र मूलचंद व रामजीलाल पुत्र सुआ दोनों नालाक किस्म के व्यक्ति रहे है। विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा में सुआ के वारिसान प्रतिवादी नं0 4 से 10 का हिस्सा मात्र विवादित संपूर्ण आराजी में से 1/2 हिस्सा का रजिस्टर्ड बेचान 18.09.1975 एवं 21.11.1975 को प्रतिवादी नं0 11 ता 16 के पिता अर्जुनलाल कवि के नाम अवैध करा दिया एवं दीगर रामजीलाल पुत्र चतरू ने दिनांक 28.07.1976 के फर्जी बयनामा से खातेदारी इन्द्राज अर्जुन एवं श्याम पुत्र धीरा का नाम दर्ज करा दिया। अवैध व प्रभाव में शून्य खातेदारी इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड में करा लेने से प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है और प्रतिवादीगण ने वादिया से छिपाते हुये वादिया के हक हकूक खातेदारी काश्तकारी की भूमि का हडपने की बदयान्ति से साजिश करके आराजीयात खसरा नंबर 7322 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कस्बा करौली की कृषि भूमि का वादिया के हिस्से हक हकूक खातेदारी काश्तकारी को शामिल करते हुऐ प्रतिवादी रामजीलाल से प्रतिवादी नं0 11 ता 16 ने दिनांक 18.09.1975 व 21.11.1975 के दिवस अवैध तौर पर बयनामा सब रजिस्ट्रार करौली के समक्ष कार्यालय में पंजीयन करा लिया है जबकि वादिया के हक हकूक खातेदारी व हिस्से की आराजीयात को प्रतिवादी को विकय करने का विधिक अधिकार वादिया के हक हकूक खातेदारी आराजीयात को खरीदने का प्रतिवादी नं0 11 ता 16 को वैधानिक अधिकार नही है। पंजीकृत बयनामा दिनांक 18.09.1975 व 21.11.1975 वादिया के हक हकूक खातेदारी काश्तकारी व हिस्सा 1/3 पर अच्छादित होने से वादिया पर बाध्यकारी नही है। वादिया उक्त बयनामा

उपखण्ड अधिकारी
करौली

को अपने हक हकूक में हिस्सा 1/3 पर न्यायालय से शून्य घोषित कराने के अधिकारी है। सुआ के लडके रामजीलाल ने विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 9 विस्वा में से दिनांक 18.09.1975 को रकवा 1 वीघा 06 विस्वा तथा पुनः दिनांक 21.11.1975 रकवा 8 1/2 विस्वा का अनाधिकृत वयनामा प्रतिवादीगण नं0 11 ता 16 के पिता अर्जुनलाल कवि के नाम रजिस्टर्ड कराकर कुल रकवा का 1/2 हिस्सा को वय कर दिया था जबकि रामजीलाल उक्त आराजी में मात्र 1/6 का हिस्सेदार है एवं 1/6 हिस्सा रामश्री पुत्री सुआ का है दोनों का मिलकर 1/3 हिस्सा होता है अतः उक्त वयनामा रामश्री के हक हकूक के खिलाफ होने से वयनामा निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजी में प्रतिवादी नं0 1 व 3 का किशनलाल के वारिसान होने से 1/3 हिस्सा है। तथा कथित फर्जी वयनामा से प्रतिवादी नं0 4 ता 20 व उनके पिता आदि ने किशनलाल के 1/3 हिस्से का वयनामा से किशनलाल का नाम हजफ करा दिया बाद में जमाबंदी में उनके नाम के खातेदारी इन्द्राज हो गये। शिवलाल पुत्र किशनलाल 1/3 हिस्से के खातेदारी इन्द्राजात हो जाने से प्रतिवादी नं0 4 ता 20 के नाम किये गये वयनामें निरस्त होने योग्य है। वादिया अनपढ है रामजीलाल पुत्र सुआ व रामजीलाल पुत्र चतरू ने वादिया के अनपढ होने के कारण वादिया से छिपाते हुये बिना आधार के बिना अधिकार गलत तौर पर वादिया के जिन्दा होने की जानकारी होने के बावजूद वादिया को भौरया की पुत्री जिंदा होना जानते हुये वादिया को सुनवाई का कोई नोटिस व अवसर दिये बिना फर्जी वयनामा से खातेदारी इन्द्राजात करा दिये है। उक्त खातेदारी इन्द्राजात से प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। उक्त इन्द्राजात वादिया के हक हकूक खातेदारी व काश्तकारी पर प्रभावहीन व शून्य है। आराजीयात भौरया की खातेदारी की होना राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत तथ्य है। रामजीलाल पुत्र मुरली ने अपने अवैध इन्द्राजात के आधार पर आराजीयात खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 09 विस्वा कस्बा करौली का वादिया के हक हकूक खातेदारी को मारने की बदनीयती से प्रतिवादी नं0 11 ता 16 के पिता अर्जुनलाल कवि के पिता श्याम पुत्र धीरा के हक में बिल एवज 500/—रूपये में दिनांक 28.07.1976 के दिवस सब रजिस्ट्रार करौली के कार्यालय में वादिया के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

हक हिस्से की भूमि को हडपने की बदनीयति से वयनामा तस्दीक कराया है जो हक हकूक खातेदारी वादिया पर प्रभावहीन व शून्य है। वादिया के हक हकूक खातेदारी पर उक्त वयनामा आच्छादित है। उक्त वयनामा वादिया को गंभीर क्षति कारित कर रहा है। वादिया उक्त वयनामा दिनांक 28.07.1976 को अपने हक हकूक खातेदारी पर न्यायालय से प्रभावहीन व शून्य घोषित कराकर वादिया अपने 1/3 हक हकूक हिस्सा खातेदारी पर निरस्त कराने की अधिकारी है और न्यायालय द्वारा वादिया के हक हकूक की हद तक उक्त वयनामा निरस्त किया जाना न्यायोचित है हक प्रतिवादी को वादिया के 1/3 हिस्से की भूमि को विक्रय करने के विधिक अधिकार नही है और प्रतिवादीगण को वादिया के हक हकूक खातेदारी की भूमि को रामजीलाल से खरीदने का अधिकार नही है। वादिया द्वारा भूमि का बेचान नही किया गया है। वयनामा दिनांक 28.07.1976 वादिया के 1/3 हक हकूक व हिस्सा पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादिया को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में कराये गये फर्जी वयनामा की पूर्व में दिनांक 15.05.2016 तक कोई जानकारी नही थी। दिनांक 15.05.2016 को प्रतिवादी नं0 11 ता 20 वादिया से उसके मकान को तोडने और कब्जे को हडपने के लिए झगडा करने आये और कहा कि विवादित आराजी का वयनामा हमारे नाम हो गये इसलिए हम तुम्हें आराजी से बेदखल करेंगे, तुम्हारे मकान को तोडेंगे। अतः वादिया को प्रतिवादीगण के फर्जी वयनामा की प्रथम बार दिनांक 15.05.2016 को जानकारी हुई है। इससे पूर्व वादिया को विवादित फर्जी वयनामा की कोई जानकारी नही थीं। विवादित आराजी खसरा नंबर 7322 रकवा 4 वीघा 09 विस्वा का मौके पर एक ही चक है जिसके पूर्व में आम रास्ता है तथा पूर्वी हिस्से में वादिया का कब्जा है तथा वादिया ने अपना मकान बना रखा है वादिया अपनी आराजी एवं मकान पर परिवार सहित काबिज है रिहायश कर रही है मौके पर वादिया की फसल खडी हुई है। गेहूं की फसल बो दी गई है। पश्चिमी हिस्से पर द्रोपती पत्नि शिवलाल एवं रामश्री पुत्री रामजीलाल ने कब्जा कर रखा है तथा रामश्री ने अपने हिस्से मे कमरा भी बना रखा है। प्रतिवादी नं0 3 के पिता शिवलाल पुत्र किशनलाल का हिस्सा भी सेटिलमेंट के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही था लेकिन

उपखण्ड अधिकारी

आज जमाबंदी व राजस्व रिकार्ड में शिवलाल पुत्र किशनलाल ने न्यायालय में दावा करके अपने हिस्से की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में अपने पुत्र दिनेश व जगदीश पिता शिवलाल व द्रोपती बेवा शिवलाल के नाम इन्द्राज करा लिया है। प्रतिवादीगण नं0 11 ता 20 का मौके पर विवादित आराजी में कोई कब्जा नही है। प्रतिवादीगण को फर्जी वयनामा के वक्त भी कोई कब्जा नही दिया गया है। वादिया द्वारा भूमि का बेचान नही किया गया है और वादिया तथा प्रतिवादीगण के मध्य आज तक वादग्रस्त संपत्ति विवादित जमीन मकान का वाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा नही हुआ है। आराजीयात में वादिया का 1/3 हक हकूक हिस्सा संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा है। उक्त आराजीयात का वादिया एवं मूलचंद के पुत्र के बीच विधिवत वाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नही हुआ है। क्रेता प्रतिवादीगण अजनबी क्रेता है जो कि क्रेतागण वादिया के परिवार में से नही है। क्रेतागण द्वारा भी आराजीयात का वादिया से विधिवत तौर पर बंटवारा नही कराया है। आराजीयात में वादिया का 1/3 संयुक्त कब्जा हिस्सा व संयुक्त खातेदारी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व 10 के साथ हैं। वादिया उक्त प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त कर रही है। वादिया के संयुक्त कब्जे काश्त में व्यवधान डालने का प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार नही हैं। प्रतिवादीगण की अवैध कार्यवाही बेचान से हकूक वादिया पर भारी आघात है। अपूर्णीय क्षति है भारी असुविधा है। सहजोर प्रतिवादीगण पर भारी आघात है। अपूर्णीय क्षति है भारी असुविधा है। सहजोर प्रतिवादीगण के विरूद्व वादिया स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी हे कि वह वादिया को उसकी मकानियत एवं कृषि भूमि से ज्यादा बेदखल ना करें ना करावे यथावत स्थिति बनाये रखें। वादपत्र पैरा नं0 1 व 2 में दर्ज संपत्ति में वादिया 1/3 हक हकूक व हिस्सा संयुक्त मिल्कियत संयुक्त कब्जा व उपयोग उपभोग की अधिकारी है। वादिया बेवा औरत जात है प्रतिवादीगण स0 1 ता 20 ताकतवर व धनबली, बाहुबली एवं राजनैतिक प्रभाव वाले है। प्रतिवादीगण वादिया के संयुक्त कब्जे व उपयोग उपभोग में व्यवधान करने लगे है। वादिया के आराजी काश्त में व्यवधान डालने लगे है। रिहायशी भवन में रिहायश में व्यवधान डालने लग गये है। वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित संपत्ति दर्ज वादपत्र पैरा नं0 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

का विधिवत वाई मीरास एण्ड बाजरूरा हक हिस्सा अनुसार समान रूप से दिनांक 15.05.2016 को प्रतिवादी नं0 1 ता 20 की मौजूदगी में बंटवारा करने को कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये, आमादा फिसाद हो गये और प्रतिवादीगण ने हक हकूक व हिस्सा 1/3 वादिया से साफ इंकार कर दिया और प्रतिवादी नं0 11 ता 20 ने कहा कि तुम्हारी आराजी का बयनामा हमारी नाम हो चुका है। खातेदारी में नाम चढ चुका है हम तुम्हें मकान व जमीन से बेदखल करेंगें। वादिया द्वारा उक्त अनाधिकृत बयनामा की दिनांक 19.05.2016 व 23.05.2016 को बयनामा की जानकारी से उक्त बयनामा निरस्त कराने एवं खातेदारी इन्द्राज हजब करने के लिये दावा पेश है चूंकि वादिया के 1/3 हिस्से के कब्जे व काश्त में किसी प्रकार की रूकावट एवं तकलीफ करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नही हैं वादिया बदस्तूर अपने 1/3 हिस्से की जमीन एवं उपरोक्त हिस्से में बने मकान पर वादिया शांतिपूर्वक दायरी दावे तक बदस्तूर काबिज चली आ रही है। वादिया न्यायालय से अपना 1/3 हिस्सा विवादित जायदाद में घोषित कराने एवं बंटवारा कराकर मुताबिक बंटवारा संपत्ति सेपरेट कराने की अधिकारी है। वादिया अपने 1/3 हिस्से की कृषि भूमि का वाद घोषणा बंटवारा कराकर सेपरेट लगान बंटवारा अनुसार खातेदारी इन्द्राजात सेपरेट कराने की अधिकारी है। अतः वादग्रस्त संपत्ति दर्ज वादपत्र संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त कर प्रस्तुत है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादीगण का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2 में वादग्रस्त भूमि चतरू वल्द मुरली एवं सूका वल्द मूलचंद की खातेदारी में दर्ज है। मूलचंद के चार पुत्र किशनलाल, सुआ, भौरया व पून्या थे। जिनमें से पून्या अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है। किशनलाल के वारिसान प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 है एवं सुआ के वारिसान प्रतिवादी नंबर 4 ता 9 है एवं सुआ की वारिस प्रतिवादी नंबर 10 रामश्री व रामजीलाल है तथा भौरया की एकमात्र पुत्री वादीया नंबर 1 है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादीया का 1/3 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा है एवं प्रतिवादी नंबर 4 ता 9 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी नंबर 4 ता 9 द्वारा प्रतिवादी नंबर 11 ता 14 के हक में किये गये बयनामे दिनांक 18.09.1975, 21.11.1975 एवं 28.07.1976 वादीया नंबर 1 व प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 एवं प्रतिवादी नंबर 10 के हक हकूक हिस्सा 1/6 तक प्रभावहीन व शून्य है वादीया का वादग्रस्त भूमि पर अपने 1/3 हिस्से पर कब्जा होना वादीया व गवाह चौथीबाई ने अपने मौखिक बयान में बताया है।

उपखण्ड अधिकारी

जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी साक्ष्य से नहीं किया गया है। वादीया ने भूमि पुश्तैनी होने के संबंध में खसरा टीप संवत 2078–81 अपने बाबा थाना पुत्र भवान्या उर्फ भवानी के नाम की प्रस्तुत की है एवं मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–11 व खसरा टीप प्रदर्श–8 प्रस्तुत की है। जिनसे भूमि वादग्रस्त वादीया नंबर 1 व प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 एवं प्रतिवादी नंबर 10 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होना एवं भूमि में वादी नंबर 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 का 1/3 एवं प्रतिवादी नंबर 10 का 1/6 हिस्सा होना साबित होता है। वादीया अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है। वादीया द्वारा बंटवारा की दादरसी नहीं चाहने बाबत दिनांक 10.04.2026 को आवेदन किया है जो दिनांक 10.04.2026 को स्वीकार किया जाकर दावे से धारा 53 आर टी एक्ट बंटवारा की दादरसी विड्रा किये जाने के आदेश दिये जा चुके है। दावा वादीगण बंटवारा चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किय जाता है। वादीया नंबर 1 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 7322 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 10 तहसील करौली के 1/3 हिस्से को व प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी नंबर 10 को 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादी नंबर 11 ता 14 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार किया जाता है। वादी नंबर 1 इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 21 को आदेश दिये जाते है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज खातेदारी अमल करें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के 1/3 हिस्से कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करें एवं वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/4/26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली